




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में

Head of Institution BEO-Bahadurgarh[5054], Jhajjar

यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1)

दिनांक पंचकुला 27-01-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).


हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 BEO Bahadurgarh (Jhajjar) [5054]	Const. of Gents and ladies toilet	1997000.00
	कुल राशि	1997000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पेशलिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।


 उप अधीक्षक निर्माण
 कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त झज्जर
5. जिला शिक्षा अधिकारी, झज्जर को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as DDO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी झज्जर
8. उप खजाना अधिकारी, बेरी/बहादुरगढ़/मातनहेल
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में

Principal GSSS-Asaudha[3253], Jhajjar
Head Master GGHS-Barahi[3259], Jhajjar
यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) Group: 385
दिनांक पंचकुला 27-01-2022

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैषल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Asaudha (Jhajjar) [3253]	Major repairing of school building	2000000.00
2 GGHS Barahi (Jhajjar) [3259]	Major repair of 8 class rooms and Minor repair of 4 class rooms	1999950.00
	कुल राशि	3999950.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला:- 10.02.2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त झज्जर
5. जिला शिक्षा अधिकारी, झज्जर को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी झज्जर
8. उप खजाना अधिकारी, बेरी/बहादुरगढ़/मातनहेल
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sandeep Kumar
उप अधीक्षक निर्माण

कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED THE BEARING SAME NO. & DATE

सेवा में,

Principal GSSS-Naguran[1505], Jind
Principal GGSSS-Uchana Mandi[1524], Jind
Principal GSSS-Khanda[1554], Jind
Principal GSSS-Khanda[1554], Jind
Head Master GHS-Dhillowal[1629], Jind
Principal GSSS-Bhongra[1699], Jind
Principal GGSSS-Kalwan[1736], Jind
यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1) Group: 374
दिनांक पंचकुला 10-01-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Naguran (Jind) [1505]	Const. of Multipurpose Hall	236000.00
2 GGSSS Uchana Mandi (Jind) [1524]	Const. of 4 Toilets	860000.00
3 GSSS Khanda (Jind) [1554]	Balance Amount for Completion of Rooms with Veranda	498000.00
4 GSSS Khanda (Jind) [1554]	Const. of Main Gate on RCC Column and Beam	410000.00
5 GHS Dhillowal (Jind) [1629]	Balance Amount for Const. of Multipurpose Hall	235000.00
6 GSSS Bhongra (Jind) [1699]	Const. of 2 No. Labs	1999000.00
7 GGSSS Kalwan (Jind) [1736]	White Wash	110678.00
	कुल राशि	4348678.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पेशलिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा।

कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठाकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकूला:- 1.02.2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा10 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त जीद
5. जिला शिक्षा अधिकारी, जीद को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी जीद
8. उप खजाना अधिकारी, नरवाना/सफीदों/जुलाना/उचाना/पिल्लुखेड़ा
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GGSSS-Julana[1507], Jind
 Principal GSSS-Narwana[1515], Jind
 Principal GGSSS-Uchana Mandi[1524], Jind
 Principal GSSS-Dahola[1539], Jind
 Head Master GHS-Thua[1544], Jind
 Principal GSSS-Khanda[1554], Jind
 Head Master GHS-Dhillowal[1629], Jind
 Principal GGSSS-Budha Khera[1663], Jind
 Principal GSSS-Bushlana[1691], Jind
 Head Master GGHS-Uchana Khurd[1730], Jind
 यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) Group: 388
 दिनांक पंचकुला 27-01-2022

विषय **माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तवित राशि
1 GGSSS Julana (Jind) [1507]	Const./Repair and white wash and painting	1997000.00
2 GSSS Narwana (Jind) [1515]	Repair of class rooms with Veranda	2000000.00
3 GGSSS Uchana Mandi (Jind) [1524]	Const. of class rooms with Veranda	1992000.00
4 GSSS Dahola (Jind) [1539]	Const. of 2 No's lab with Veranda	1627000.00
5 GHS Thua (Jind) [1544]	Const. of Prayer ground shed with corrugated sheet	1904000.00
6 GSSS Khanda (Jind) [1554]	Const. of Cycle stand with Corrugated Sheet and Iron stairs	1853000.00
7 GHS Dhillowal (Jind) [1629]	Const. of Prayer Ground shed with corrugated sheets and Iron straise	1835000.00
8 GGSSS Budha Khera (Jind) [1663]	Const. of room and cycle stand	1853000.00
9 GSSS Bushlana (Jind) [1691]	Const. of cycle stand	238000.00
10 GGHS Uchana Khurd (Jind) [1730]	Repair of rooms with Veranda and white washing	1991000.00
	कुल राशि	17290000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एसओएमओसीओ कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sd/-
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठाकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला:- 1-08-2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशाओ क्रमांक 14/01/2020-1 बीओ एण्ड सीओ दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (एओएण्डओई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त जीद
5. जिला शिक्षा अधिकारी, जीद को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनो के निर्माण/मरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बीओसीओएओ) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी जीद
8. उप खजाना अधिकारी, नरवाना/सफीदों/जुलाना/उचाना/पिल्लुखेड़ा
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आईओटीओ सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Khabra Kalan[3280], Fatehabad
Head Master GHS-Dhani Gopal[3402], Fatehabad
Principal GSSS-Dhabi Kalan[3364], Fatehabad
यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) Group: 384
दिनांक पंचकुला 27-01-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Khabra Kalan (Fatehabad) [3280]	Construction of Room with Veranda	1992000.00
2 GHS Dhani Gopal (Fatehabad) [3402]	Const. of Kitchen shed and Toilet Set	776000.00
3 GSSS Dhabi Kalan (Fatehabad) [3364]	Const. of 3 class rooms with	1992000.00
	कुल राशि	4760000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फाटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 w(1)

दिनांक, पंचकुला:- 1. 2. 2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त फतेहाबाद
5. जिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहरस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी फतेहाबाद
8. उप खजाना अधिकारी, टोहाना/रतिया/भूना/जाखल/भट्टू कलां
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sanjay Kumar
उप अधीक्षक निर्माण


कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में

Head Master GHS-Gokalpur[3928], Mahendergarh
Head Master GHS-Hamidpur[3935], Mahendergarh
यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) Group: 392
दिनांक पंचकुला 27-01-2022

विषय मार्डनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Gokalpur (Mahendergarh) [3928]	Const. of Boundary Wall and Const. of Girls Toilet	1982865.00
2 GHS Hamidpur (Mahendergarh) [3935]	Const. of 3 class rooms and const. CWSN	1955000.00
	कुल राशि	3937865.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला:- 10.02.2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी० एण्ड सी० दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त महेन्द्रगढ़
5. जिला शिक्षा अधिकारी, महेन्द्रगढ़ को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी महेन्द्रगढ़
8. उप खजाना अधिकारी, महेन्द्रगढ़/अटेली/नांगल चौधरी/कनीना
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Baraut[2311], Kurukshetra
Principal GSSS-Khairi[2321], Kurukshetra
Principal GSSS-Mangoli Jattan[2327], Kurukshetra
Principal GSSS-Ajrana Kalan[2390], Kurukshetra
Principal GSSS-Ajrana Kalan[2390], Kurukshetra
Principal GSSS-Kalsa[2434], Kurukshetra
Principal GSSS-Lohara[2451], Kurukshetra
यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) Group: 389
दिनांक पंचकुला 27-01-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Baraut (Kurukshetra) [2311]	Const. of Computer room	875000.00
2 GSSS Khairi (Kurukshetra) [2321]	Repair of class rooms	994000.00
3 GSSS Mangoli Jattan (Kurukshetra) [2327]	Const. of Multipurpose Hall	1485000.00
4 GSSS Ajrana Kalan (Kurukshetra) [2390]	Repair of floor	451000.00
5 GSSS Ajrana Kalan (Kurukshetra) [2390]	Repair of rooms	281800.00
6 GSSS Kalsa (Kurukshetra) [2434]	Const. of Multipurpose hall	1553500.00
7 GSSS Lohara (Kurukshetra) [2451]	Integrated science lab	879000.00
	कुल राशि	6519300.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 w(1)

दिनांक, पंचकूला:- 1-02-2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र
5. जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुराध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी कुरुक्षेत्र
8. उप खजाना अधिकारी, शाहबाद/पेहवा/लाडवा/ईस्मायलाबाद
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Sanjay Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में

Principal GSSS-Jansui (82), Ambala

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 27-01-2022

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1. GSSS jansui (Ambala) (82)	Prayer Ground with shed	1853000.00
कुल राशि		1853000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिय/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

-Sel-
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला:- 1/2/2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा10 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त अम्बाला
5. जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी, अम्बाला।
8. अतिरिक्त उपायुक्त अम्बाला।
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Sampal Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Nangal Pathani[2500], Rewari

Principal GSSS-Sulkha[2544], Rewari

यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) Group: 393

दिनांक पंचकुला 27-01-2022

विषय

माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Nangal Pathani (Rewari) [2500]	Completion of Room	455000.00
2 GSSS Sulkha (Rewari) [2544]	Const. of Room with Veranda & White Washing and Painting	2000000.00
	कुल राशि	2455000.00

स्क्रीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।


उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला:- 1.03.2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त रिवाड़ी
5. जिला शिक्षा अधिकारी, रिवाड़ी को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी रिवाड़ी
8. उप खजाना अधिकारी, कौसली/बावल
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।



उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में

Principal GSSS-Butana[3443], Sonipat
Principal GSSS-Chirana[3452], Sonipat
Principal GSSS-Bhaiswan Khurd[3580], Sonipat
Principal GSSS-Kundli[3628], Sonipat
यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) Group: 391
दिनांक पंचकुला 27-01-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Butana (Sonipat) [3443]	Completion of multipurpose hall	1608000.00
2 GSSS Chirana (Sonipat) [3452]	Repair of 6 rooms	1961000.00
3 GSSS Bhaiswan Khurd (Sonipat) [3580]	Prayer ground shed	1853000.00
4 GSSS Kundli (Sonipat) [3628]	Const. of 4 class rooms	1981000.00
	कुल राशि	7403000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा।
- कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।


उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 w(1)

दिनांक, पंचकुला:- 1. 02.2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त सोनीपत
5. जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी सोनीपत
8. उप खजाना अधिकारी, गोहाना/गनौर/खरखौदा
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Karad[2034], Panipat
Head Master GHS-Noorwala[2053], Panipat
Principal GSSS-Alupur Nain[2069], Panipat
Principal GSSS-Atta[2070], Panipat
यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) Group: 390
दिनांक पंचकुला 27-01-2022

विषय **माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Karad (Panipat) [2034]	Const. of multipurpose hall	1904000.00
2 GHS Noorwala (Panipat) [2053]	Flooring in class rooms	477055.00
3 GSSS Alupur Nain (Panipat) [2069]	Prayer shed with corrugated sheets and iron strasses	1478000.00
4 GSSS Atta (Panipat) [2070]	Const. of cycle stand	1648000.00
	कुल राशि	5507055.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 w(1)

दिनांक, पंचकुला:- 1.08.2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त पानीपत
5. जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी पानीपत
8. उप खजाना अधिकारी, समालखा/इसराना/बापोली/मडलोडा
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

 वमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Ganga Tehri Popran[1785], Karnal

Head Master GHS-Moond[1995], Karnal

यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) Group: 386

दिनांक पंचकुला 27-01-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैषल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के आशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Ganga Tehri Popran (Karnal) [1785]	Repair of Rooms with Veranda and Hall white washing and painting	1994000.00
2 GHS Moond (Karnal) [1995]	Const. of 3 class rooms with Veranda	1992000.00
	कुल राशि	3986000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
 कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 w(1)

दिनांक, पंचकुला:- 1.09.2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त करनाल
5. जिला शिक्षा अधिकारी, करनाल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुराध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी करनाल
8. उप खजाना अधिकारी, नीलोखेड़ी/इन्द्री/घरौण्डा/असन्ध/निसिंग/तरावड़ी
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

उप अधीक्षक निर्माण


कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Bithmara[1189], Hisar
 Head Master GHS-Budhakhera[1193], Hisar
 Head Master GHS-Kanoh[1225], Hisar
 Head Master GGHS-Khara Barwala[1227], Hisar
 Head Master GHS-Sahu[1265], Hisar
 Head Master GHS-Madanheri[1293], Hisar
 Head Master GHS-Nara[1303], Hisar
 Head Master GHS-Shamsukh[1330], Hisar
 Head Master GHS-Siswala[1334], Hisar
 Principal GSSS-Kharak Punia[1454], Hisar
 Head Master GGHS-Hassangarh[1496], Hisar
 यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) Group: 387
 दिनांक पंचकुला 27-01-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैषल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22
(Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Bithmara (Hisar) [1189]	Cycle stand shed	1583000.00
2 GHS Budhakhera (Hisar) [1193]	Const. of shed	1583000.00
3 GHS Kanoh (Hisar) [1225]	Const. of shed with Corrugated sheet	1842000.00
4 GGHS Khara Barwala (Hisar) [1227]	Const. of shed	1583000.00
5 GHS Sahu (Hisar) [1265]	Construction of shed	1583000.00
6 GHS Madanheri (Hisar) [1293]	Paver block path	1613000.00
7 GHS Nara (Hisar) [1303]	Const. of 4 class rooms with Veranda	1917000.00
8 GHS Shamsukh (Hisar) [1330]	Const. of shed	1853000.00
9 GHS Siswala (Hisar) [1334]	Const. of rooms with Veranda	1992000.00
10 GSSS Kharak Punia (Hisar) [1454]	Const. of Teen shed	1447000.00
11 GGHS Hassangarh (Hisar) [1496]	Repair of rooms	1888000.00
	कुल राशि	18884000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की

फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 w(1)

दिनांक, पंचकूला:- 1.02.2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त हिसार
5. जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी हिसार
8. उप खजाना अधिकारी, आदमपुर/हांसी/नारनौद/बरवाला/उकलाना
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


1/2/22
Aadhikaari

Sankar Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

ORDER No. 4/51-2021 HRME-I (4)

DATED, PANCHKULA: 19.01.2022

The following official is hereby transferred/adjusted with immediate effect:-

Sr. No	Name, Designation	Present Place of Posting	Transfer/Adjusted	Remarks
1.	Sh. Subhash Kalyan [025499], Superintendent	O/o DIET Shahapur [4613], Karnal	O/o DEO Karnal [4608]	Against Sh. Pawan Kumar [066233] Superintendent O/o DEO Karnal [4608] and vice versa.

Terms and conditions:-

1. The official will be relieved immediately and in any case within 3 days failing which he/she will be liable for disciplinary action.
2. No TA/DA and joining time will be admissible to the official if he/she has been shifted on his/her request after exercising option.
3. If there is no vacancy in the destination school for any reason the incumbent transferred shall re-join his/her previous place of posting and also inform to concerned branch/computer cell at HQ. If any discrepancy is noticed in this order or there is a violation of transfer policy, It should be brought to the notice of Computer Cell/Concerned branch within three days and the order be not implemented.
4. In case of mutual transfer, it is directed that before relieving/joining the officials concerned, it may be ensured that the distance between both the schools is not less than 8 km.
5. The mutual transfer would be effective only when both the employees seeking mutual transfer submit a consent document to their respective Principals.
6. The condition that official has not been joined previous transfer place of posting is implemented on Cancellation Order.
7. The official will be update their profile in MIS Portal when he/she join/relieve from his present working station and also supply the information to the Directorate.
8. Concerned DDO is also requested to update and approved MIS data of the official at your own level.

J.GANESAN
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

ENDST. No. Even

DATED PANCHKULA, 31.01.22

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Director SCERT Haryana, Gurugram and District Education Officer, Karnal.
2. O/o DIET Shahapur [4613], Karnal.
3. Sh. Subhash Kalyan [025499], Superintendent O/o DIET Shahapur [4613], Karnal.
4. Sh. Pawan Kumar [066233] Superintendent O/o DEO Karnal [4608].
5. Secy. OSD/CM.
6. Sr. PS/E.M.
7. Sr. PS/ACSSE.
8. PS/DSE.
9. IT Cell.
10. Data Entry Operator (HRME Branch) he is requested to update the data of the concerned official on the website/MIS Portal please.

SUPERINTENDENT HRME-I
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

**GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH**

Order No. 03/8-2020 PGT-IV (5)

Dated Chandigarh, 10.01.2022

The resignation tendered by Smt. Reetu (5019168), PGT Geography, Govt. Sr. Sec. School, Jaurasi (2095), Panipat is hereby accepted w.e.f. 20.12.2019.

Dr. Mahavir Singh
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
School Education Department
Chandigarh


**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the 27/1/22

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. The Secretary, Haryana Staff Selection Commission, Panchkula.
3. District Education Officer, Panipat w.r.t. memo No. E-3/2021/6259 dated 16.06.2021 with service book.
4. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Jaurasi (2095), Panipat.
5. Smt. Reetu, PGT Geography, Govt. Sr. Sec. School, Jaurasi (2095), Panipat.
6. Superintendent PGT-I Branch.
7. I.T. Cell to upload the orders on website and update the data of employee on Departmental record


Dy. Superintendent PGT-IV
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula 2

**Government of Haryana
School Education Department
Chandigarh**

Order No. 23/13-2021 PGT-IV (3)

Dated Panchkula the 10.01.2022

The on road period from 09.04.2021 to 07.06.2021 (60 Days) of Sh. Sanjay Kumar, PGT Maths, Govt. High School, Siwara (Bhiwani) is hereby treated as duty period for all intents and purposes as provided in Rule-10 of Haryana Civil Services (General) Rules-2016.

**Dr. Mahavir Singh
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
School Education Department
Haryana, Chandigarh**


**OFFICE OF DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

Endst. No. Even

Dated Panchkula the, 27.01.2022

A copy of above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal, Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, Bhiwani vide their letter No. E/2/2021/4272 dated 16.06.2021.
3. ~~Head Master~~ Govt. High School, Siwara (Bhiwani)
4. Sh. Sanjay Kumar, PGT Maths, Govt. High School, Siwara (Bhiwani) .
5. IT Cell (Local).


**Dy. Superintendent PGT-IV
for Director Genreal Secondary Education
Haryana, Panchkula**

**OFFICE OF DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

Order No 20/1-2022 PGT-IV (3)

Dated, Panchkula, 28.01.2022

Smt. Suman Bala, PGT Maths, GSSS Kaliyana (478), Distt. Charkhi Dadri is hereby granted Child Care Leave from 28.01.2022 to 16.04.2022 (79 days) subject to fulfillment of the provision of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.


J. Ganesan
Director General Secondary Education
Haryana, Panchkula

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the 31/1/22

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Charkhi Dadri w.r.t. their letter No. E-II/2021/710 dated 22.12.2021 with the direction to attach the Service Profile of applicant with the case, in future.
2. Principal, GSSS Kaliyana (478), Distt. Charkhi Dadri.
3. Smt. Suman Bala, PGT Maths, GSSS Kaliyana (478), Distt. Charkhi Dadri with the direction to send the case with full details (with employee id, school code) in future.
- ✓ 4. I.T. Cell for uploading the orders on website of Directorate.


Dy. Superintendent PGT-IV
for Director General Secondary Education,
Haryana, Panchkula



Directorate School Education विद्यालय शिक्षा निदेशालय



Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फ़ैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

ORDER

Order No. 7/62-2021 PGT-II (6)

Dated, Panchkula, 24.01.2022

As per provision contained in Haryana Govt. Finance Department Notification No. 1/83/2008/1 PR (FD) dated 31.12.2008 and letter No. 1/87-2008-1 PR(FD) dated 04.03.2014, **Smt. Kamlesh, PGT Hindi (Retd.), Govt. Girls Sr. Sec. School, Bahadurgarh (Jhajjar)** is hereby granted **2nd ACP in ACPL-13 w.e.f. 01.01.2021** after completion of 16 years of regular satisfactory service.

Vivek Kalia, HCS
Joint Secretary to Government Haryana
School Education Department
Haryana, Panchkula

Endst. No. Even

Dated, Panchkula the 01-02-2022

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal, Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, **Jhajjar** w.r.t. their Memo No. E-II-2021/3132 dated 22.12.2021.
3. Treasury Officer concerned.
4. Principal, Govt. Girls Sr. Sec. School, Bahadurgarh (Jhajjar).
5. Smt. Kamlesh, PGT Hindi (Retd.), Govt. Girls Sr. Sec. School, Bahadurgarh (Jhajjar).
6. I.T. Cell (Local).

DA/As above.

Dy. Superintendent PGT-II
for Director General Secondary Education
Haryana, Panchkula

E:\Singla Office\Sanction\ACP Sanction 2021.docx

Office: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फ़ैक्स: 91 (0172) 2560253



**GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH**

No. 7/50-2021 PGT-II(5)

Dated, Chandigarh, 27.01.2022

In accordance with the instructions contained in Haryana Government Finance Department Notification No. 1/83/2008/1 PR (FD), dated 31.12.2008 and letter dated 04-03-2014 and Notification No. 1/20/2016(ACP)-5 PR (FD) dated 28.10.2016, **Smt. Pushpa Rani, PGT History (Retd.), Govt. Girls Senior Secondary School, Bhim Nagar, District Gurugram** is hereby granted **3rd ACP w.e.f. 04.03.2014** after completion of 24 years regular satisfactory service. It is being granted only in lieu of promotion/non availability of promotion avenues for the time being and is liable to be withdrawn without any notice in the event of forgoing/declining of hierarchical promotion.

**Vivek Kalia
Joint Secretary to Government Haryana
School Education Department
Haryana, Panchkula**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**


Endst. No. Even

Dated, Panchkula the 11.02/2022

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal, Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, Gurugram w.r.t. their Memo No. E-2/2021/2770 dated 16.11.2021 alongwith service book and personal file of Smt. Pushpa Rani, PGT History (Retd.), Govt. Girls Senior Secondary School, Bhim Nagar, District Gurugram.
3. Treasury Officer concerned.
4. Principal, Govt. Girls Senior Secondary School, Bhim Nagar, District Gurugram.
5. Smt. Pushpa Rani, PGT History (Retd.), Govt. Girls Senior Secondary School, Bhim Nagar, District Gurugram.
6. I.T. Cell (Local).

DA/As above.


**Dy. Superintendent PGT-II
for Director General, Secondary Education
Haryana, Panchkula**